उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि अनुभाग-4,
संख्या: 2454/12-4-192/82,
लखनऊ : दिनांक: 8 अप्रैल,1986.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्यान और फलोपयोग समूह-घ कर्मचारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उद्यान और फलोपयोग समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली,1986

भाग एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्यान और फलोपयोग समूह -घ कर्मचारी सेवा नियमावली,1986 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

लागू होना 2- यह नियमावली ऐसे सभी पदों के संबंध में लागू होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित चतुर्थ -वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली,1975 के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

परिभाषायें 3- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में ---

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य -

(एक) निदेशालय के पदों के संबंध में, उप निदेशक(मुख्यालय) से है।

(दो) संभागीय कार्यालयों के पदों के संबंध में, सम्बद्ध संभाग के उप निदेशक से है, और

(तीन) जिला स्तरीय कार्यालयों के पदों के सम्बन्ध में, ऐसे जिला स्तरीय अधिकारी से है जो उस कार्यालय का प्रधान हो.

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय.

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है.

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है.

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है.

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के, अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है.

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उद्यान और फलोपयोग समूह-घ कर्मचारी सेवा से है।

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फलोपयोग, उ0प्र0 (पर्वतीय और मैदानी) विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों से है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का सदस्य संख्या 4– (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकतें हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

टिप्पणी :– जिला उद्यान कार्यालयों, अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों और संभागीय उप निदेशक उद्यान कार्यालयों के समूह "घ" के कर्मचारी एक संवर्ग में होंगे। उद्यान और फलोपयोग निदेशालय के समूह "घ" के कर्मचारी एक पृथक संवर्ग में होंगे।

भाग – तीन – भर्ती

भर्ती का 5– (1) समय समय पर यथा संशोधित चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के अन्तर्गत आने वाले समूह "घ" के पदों पर भर्ती उस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(क) सेवा में शेष रिक्तियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के स्तम्भ-7 में विनिर्दिष्ट श्रोतों से की जायगी।

आरक्षण 6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग – 4 अर्हता

राष्ट्रीयता 7– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश– कन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उ०प्र० से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक और अन्य अर्हता 8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को परिशिष्ट में दी गयी अर्हतायें होनी चाहिये और केवल महिला अभ्यर्थी को छोड़कर उसे साइकिल चलाना भी आना चाहिये।

आयु 9– सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

अधिमानी अर्हता 10– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

क्रमशः

चरित्र 11— सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति-प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण अधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो,

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक 13— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 14— (1) सेवा में किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी

(दो) समूह-ख से निम्न श्रेणी के दो अधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की, योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियां बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम, योग्यता क्रम में, पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी।

क्रमशः — 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 15- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग -पांच - नियुक्ति, परिवीक्षा स्थाईकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 16- (1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट उक्त सूचियों से और निर्दिष्ट रीतिमें नियुक्तियां कर सकता है। यदि चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाय या यदि नियुक्ति के लिये इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां छः मास से अधिक अवधि के लिये नहीं की जायेंगी।

परिवीक्षा 17- (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे ऐसे पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

क्रमशः - 6

स्थायीकरण 18- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषप्रद पाया जाय, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और नियुक्ति प्राधिकारी यह अनुभव करें कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 19- सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी.

परन्तु -

(1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत उस पद पर रही हो।

टिप्पणी :- (1) सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की उपयुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) जहां नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग - छः - वेतन इत्यादि

वेतनमान 20- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 21- (1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

क्रमशः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड 22- किसी व्यक्ति को –

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसने नियमित रूप से और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्ण सन्तोष से कार्य न किया हो और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने विशिष्ट योग्यता और परिश्रम से कार्य किया है और स्वतंत्र रूप से प्रभार रखने के योग्य है और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग – सात – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 23- इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24- ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 25- जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 26- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम 4(2), 5(2), 8 और 20(?) देखिए)

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थायी	योग	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्रोत	वेतनमान (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	ड्राइवर (भारी गाड़ी)	33	20	53	1-पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।	सीधी भर्ती	330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-
2-	ट्रैक्टर, नलकूप चालक, ट्रैक्टर ड्राइवर।	29	11	40	1-पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।	तदैव	-तदैव-
3-	यांत्रिक (मैकेनिक)	8	-	8	1-पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-यांत्रिक अभियांत्रिक का प्रमाणपत्र।	तदैव	-तदैव-
4-	प्रयोगशाला यान्त्रिक	1	-	1	1-पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-यांत्रिक अभियांत्रिकी का प्रमाणपत्र।	तदैव	-तदैव-
5-	ड्राइवर (हल्की गाड़ी)	31	3	34	1-पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।	तदैव	-तदैव-
6-	प्रोजेक्ट चालक	1	-	1	1-आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म चलाने का प्रमाण पत्र के साथ एक वर्ष का अनुभव।	तदैव	-तदैव-
7-	प्रधान चौधरी/मुख्य माली/बाग का ज्येष्ठ कामदार/पौध प्रवर्धन	339	32	371	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और माली का प्रशिक्षण प्राप्त हो।	माली/उद्यान परिचर माली एवं चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा।	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440.
8-	दफ्तरी	5	1	6	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।	ऐसे चपरासी अर्दली चपरासी डाकवाहक व चौकीदारों में से, जिन्हें दफ्तरी के कार्य की जानकारी हो पदोन्नति द्वारा।	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440 रुपया

1	2	3	4	5	6	7	8
9-	बढ़ई/बढ़ई एवं लोहार/प्रधान यांत्रिक/यांत्रिक	19	-	19	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और विशिष्ट व्यवसाय का प्रमाणपत्र प्राप्त हो।	सीधी [illegible]	354-351-द0रो0-6-363-7-384-8-400-द0रो0-8-440 रु0
10-	द्वारपाल गेटमैन	2	--	2	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।	सीधी भर्ती	--तदैव--
11-	फिटर	1	--	1	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और फिटर के कार्य का अनुभव हो।	तदैव	--तदैव--
12-	सर्वेक्षण अमीन	-	5	5	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। और व्यवसाय का प्रमाणपत्र हो	तदैव	--तदैव --
13-	सहायक डिमांस्ट्रेटर/बढ़ई	3	-	3	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और व्यवसाय का प्रमाणपत्र हो।	तदैव	--तदैव --
14-	कामदार/मधु मक्खी पालक/मधु वाटिका पालक/उद्यान चौधरी/बीज पालक।	39	11	50	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और मधुमक्खी पालन की अच्छी जानकारी रखता हो।	तदैव	--तदैव --
15-	यांत्रिक/पम्प लाइन यांत्रिक/यांत्रिक एवं इंजन चालक/नलकूप चालक एवं यांत्रिक/एवं इंजन परिचालक नलकूप चालक/इंजन चालक/प्रयोगशाला यांत्रिक।	17	1	18	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और विशिष्ट व्यवसाय का प्रमाण पत्र रखता हो।	तदैव	--तदैव --

आज्ञा से,

ह0/-

(वी0 के0 मित्तल)
सचिव।

कृषि अनुभाग -4
पत्रावली संख्या 192/1982
लखनऊ दिनांक : .1986.